

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
 (आप.प्रक.क्रमांक :- 711/2015)  
 (संस्थित दिनांक :- 23/09/2015)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

### // विरुद्ध //

01. भूपेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र प्यारे सिंह गुर्जर, उम्र 42 वर्ष।
  02. श्रीमती मीराबाई गुर्जर पत्नी भूपेन्द्र सिंह गुर्जर, उम्र 40 वर्ष।
  03. अरविन्द सिंह गुर्जर पुत्र भूपेन्द्र सिंह गुर्जर, उम्र 23 वर्ष।
- निवासीगण :- कुशवाह कॉलोनी हरीराम पुरा मालनपुर,  
 थाना-मालनपुर, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

### // निर्णय //

( आज दिनांक : 09/01/2018 को घोषित )

01. अभियुक्तगण भूपेन्द्र, अरविन्द एवं श्रीमती मीराबाई पर भा.द.सं. की धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 02/09/2015 की दोपहर लगभग 11:30 बजे, फरियादी रामरूप के मकान के सामने स्थित कुशवाह कॉलोनी मालनपुर में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी रामरूप को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामरूप की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी रामरूप को दाँतों से काटकर एवं घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी रामरूप को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 02/09/2015 की दोपहर लगभग 11:30 बजे, फरियादी रामरूप के मकान के सामने स्थित कुशवाह कॉलोनी मालनपुर में, आरोपीगण भूपेन्द्र, अरविन्द एवं श्रीमती मीराबाई द्वारा फरियादी रामरूप से गाली-गलौच करने, उसकी घातक आयुध सरिया से मारपीट करने, दाँतों से काटने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रामरूप द्व

11/12/2017 को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 151/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपटित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी रामरूप के मेडीकल परीक्षण में दाँतो से काटने की चोट होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी रामरूप, साक्षीगण श्रीमती ममता देवी, छुन्ना एवं शिव सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण भूपेन्द्र, अरविन्द एवं श्रीमती मीराबाई के विरुद्ध धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपीगण भूपेन्द्र, अरविन्द एवं श्रीमती मीराबाई ने दिनांक :- 02/09/2015 की दोपहर लगभग 11:30 बजे, फरियादी रामरूप के मकान के सामने स्थित कुशवाह कॉलोनी मालनपुर में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामरूप की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी रामरूप को दाँतों से काटकर एवं घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### **सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**

06. फरियादी रामरूप अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण भूपेन्द्र, अरविन्द एवं मीराबाई को जानता है। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/12/2017 से करीबन दो-ढाई साल पूर्व की होकर सुबह 11-12 बजे की है। उस समय आरोपीगण अपने घर में गेहूँ छान रहे थे, उक्त गेहूँ की धूल उड़कर उसके घर आ रही थी। इसी विवाद पर आरोपीगण से उसका मुहवादा हो गया था, जिस पर आरोपीगण ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर में की गई थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस

ने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अगूँठा निशानी है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी रामरूप अ.सा.01 ने आरोपीगण भूपेन्द्र, अरविन्द एवं मीराबाई द्वारा दिनांक :- 02/09/2015 की दोपहर लगभग 11:30 बजे, उसके मकान के सामने स्थित कुशवाह कॉलोनी मालनपुर में, उसको दाँतों से काटकर एवं घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी रामरूप अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी रामरूप अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण भूपेन्द्र, अरविन्द एवं श्रीमती मीराबाई ने दिनांक :- 02/09/2015 की दोपहर लगभग 11:30 बजे, फरियादी रामरूप के मकान के सामने स्थित कुशवाह कॉलोनी मालनपुर में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामरूप की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी रामरूप को दाँतों से काटकर एवं घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित।

09. अभियोजन आरोपीगण भूपेन्द्र, अरविन्द एवं श्रीमती मीराबाई के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद